

प्रेषक, डॉ. नीतू सिंह तोमर, पोस्ट डॉक्टरल फेलो,
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली,
निवास: ताजपुर-बिधूना, जनपद औरैया, उ. प्र.,

मोबाइल 9389766228

सेवा में,

प्रधानमंत्री जी,
भारत सरकार, नई दिल्ली।

विषय: उच्चशिक्षा आयोग-वि.वि. की भर्तियों में भारी शुल्क एवं महिला-ई.डब्ल्यू.एस.की उपेक्षा पर प्रतिबंध हेतु।
महोदय,

देश के अधिकाँश उच्चशिक्षा आयोग, विश्वविद्यालय व कालेज शिक्षक पदों की भर्तियों में गरीब-महिला बेरोजगारों से प्रत्येक आवेदन पर बड़ी शुल्क तो वसूलते हैं, परन्तु परीक्षा-साक्षात्कार में बुलाए गए आवेदकों को न तो यात्रा-किराया देते हैं और न ही उनके रहने-खाने का प्रबंध करते हैं। जिस कारण जहाँ एक ओर बेरोजगार गरीब-महिलाएँ भर्तियों की आवेदन शुल्क जमा करने व नौकरी प्रतियोगिता में शामिल होने में असमर्थ व बेरोजगारी जीवन जीने को मजबूर हैं वहीं दूसरी ओर योग्य अभ्यार्थी महिलाएँ, ई.डब्ल्यू.एस.बेरोजगार नौकरी आरक्षण लाभ से बंचित हो रहे हैं और वि.वि./कालेजों के पदासीन वेतनभोगी आवेदन शुल्क हड़प रहे हैं। जिस पर सुधार व बेरोजगारों की हितों की सुरक्षार्थ आपके समक्ष निम्नलिखित तथ्य-सुझाव सादर प्रस्तुत हैं।

1. यह कि, अधिकाँश उच्चशिक्षा आयोग, विश्वविद्यालय व कालेज शिक्षक पदों की भर्तियों में गरीब-महिलाओं बेरोजगारों से प्रत्येक आवेदन पर बड़ी शुल्क तो वसूलते हैं, परन्तु परीक्षा-साक्षात्कार में बुलाए गए आवेदकों को न तो यात्रा-किराया देते हैं और न ही उनके रहने-खाने का प्रबंध करते हैं। जिस कारण जहाँ एक ओर बेरोजगार गरीब-महिलाएँ भर्तियों की आवेदन शुल्क जमा करने व नौकरी प्रतियोगिता में शामिल होने असमर्थ एवं बेरोजगारी जीवन जीने को मजबूर हैं वहीं दूसरी ओर योग्य महिलाएँ, ई.डब्ल्यू.एस. नौकरी आरक्षण लाभ से बंचित हो रहे हैं और सरकारी पदासीन वेतनभोगी आवेदन शुल्क हड़प रहे हैं।
2. यह कि, केन्द्र सरकार निर्धन, असहायों, महिलाओं और उनके प्रतिपाल्यों के सशक्तीकरण हेतु विकास की अनेक योजनाएँ संचालित कर रही है। देश की नौकरियों में आरक्षण व्यवस्था जारी है। जिसके माध्यम से अक्षम जनता सामाजिक विकास की मुख्यधारा में जुड़ रही है। आरक्षण के अन्तर्गत लगभग सभी राज्यों की शिक्षक भर्तियों में अर्ह महिलाओं, आर्थिक कमजोर वर्ग(E.W.S.), अनुसूचितजाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति वर्गों के आवेदकों की शुल्क व अधिकतम आयुसीमा में छूट दी जा रही है। परन्तु उ.प्र. के उच्चशिक्षा आयोग वि.वि. शिक्षक भर्तियों में महिला-E.W.S. आवेदकों को उक्त छूट से बंचित कर रहे हैं और प्रत्येक आवेदन पर भारी शुल्क व आयुसीमा में छूट न होने से गरीब महिलाएँ नौकरी पाने में असमर्थ हो रही हैं।
3. यह कि, केन्द्रीय उच्चशिक्षा-विश्वविश्वविद्यालयों की शिक्षक भर्तियों में महिलाओं व अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, E.W.S.वर्गों के आवेदकों की शुल्क मुक्त कर उनकी आयु सीमा में छूट लाभ दे रहे हैं। इसी तरह बिहार, राजस्थान आदि राज्यों की शिक्षक भर्तियों में महिलाओं-E.W.S.को अधिकतम आयु सीमा व शुल्क में छूट दी जा रही है। परन्तु उ.प्र.लोक उच्चशिक्षा वि.वि.लोकसेवा आयोग की भर्तियों में महिलाओं E.W.S. आवेदकों से प्रत्येक आवेदन पर भारी शुल्क लेकर आयु सीमा में छूट नहीं दी जा रही है।
4. यह कि, उच्चशिक्षा वि.वि. शिक्षक भर्तियों में अत्यधिक शुल्क होने व अधिकतम आयु सीमा में छूट न मिलने से अर्ह बेरोजगार महिलाएँ-E.W.S. वर्ग बुरी तरह हतोत्साहित होकर शिक्षक पात्रता से बंचित हो रहे हैं।

सअनुरोध सुझाव

1. उच्चशिक्षा आयोग कालेज-वि.वि. की भर्तियों में गरीब-महिला-बेरोजगारों के आवेदन निःशुल्क होने चाहिए।
2. उच्चशिक्षा आयोग कालेज-वि.वि. की भर्तियों में अत्यधिक आवेदन-शुल्क और बारम्बार नहीं होनी चाहिए।
3. उच्चशिक्षा आयोग-वि.वि. भर्तियों में गरीब-महिलाओं को अधिकतम आयु सीमा में छूट मिलनी चाहिए।
4. प्राप्त आवेदन शुल्क का व्यय आवेदकों के यात्रा-किराए, भोजन, आवास सुविधा तक सीमित होना चाहिए।
5. उच्चशिक्षा आयोग, कालेज, वि.वि. अधिकारी-कर्म-शिक्षक सरकारी वेतनभोगी हैं अतः अपव्यव रुकना चाहिए।
6. सरकार द्वारा उच्चशिक्षा पर जारी अनुदान के बावजूद भर्तियों में व्याप्त मनमानी पर अंकुश लगना चाहिए।

आदर सहित।

दिनांक 18-06-2021

(डॉ. नीतू सिंह तोमर)

निवास-ताजपुर, बिधूना, जनपद औरैया